न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2023 दायर दिनांकः 11.01.2023

उनवान

1. चैनराम आत्मज कन्हीराम जाति धाकड़ नि. चछलाई तहसील सुनेल

——वादी

बनाम

1. भगवानसिंह आत्मज रामसिंह जाति धाकड़ नि. चछलाई तहसील सुनेल

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

——प्रतिवादीगण

दावा धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—
अभिभाषक वादी :— श्री सुरेश नागर
प्रतिवादी सं. 1 :— एकतरफा
प्रतिवादी सं. 2 — पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 21.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि वादी के खाते में ग्राम चछलाई पटवार हल्का चछलाव तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज. मे आराजी जमाबन्दी संवत 2072—2075 जमाबन्दी वर्ष 2076 (वर्ष 2020 से स्थायी) मे खाता संख्या 25 नया व 21 पुराना की खसरा नम्बर 193 रकबा 0. 1012 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी स्थित है। उक्त आराजी के संबध में यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए वाद में उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया। यह कि वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी है, जो वर्तमान में वादी के खाते में दर्ज हैं एंव चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण भूमि मालिक वादी है तथा वादी के खाते में दर्ज है। वादी की माता मान बाई की मृत्यु 08 माह पूर्व हो चूकी है और वादी ही इस आराजी अकेला वारिस है। यह कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि हैं। वादी के कब्जे व खाते की आराजी खाता संख्या 25 नया व 21 पुराना की खसरा नम्बर 193 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी जिस पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा हैं तथा हर वर्ष फसल बोता आ रहे हैं जिसका प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार नही है। यह कि वादी ने 01 माह पूर्व प्रतिवादी से निवेदन किया कि हमारी आराजी को छोड़ दो तो इस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया व कहा कि यह जमीन मेरी है तुम यहा से चले जाओ नही तो तुम्हे जान से मार दूंगा तथा आराजी से कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया यही कारण वादी को दावा करना आवश्यक हुआ इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वादी ने कुछ वर्ष पूर्व प्रतिवादी के यह आराजी 12,000/– रूपयें में गिरवी पेटे रखी थी और समय पूरा होने के पश्चात वादी ने प्रतिवादी के ब्याज सहित रूपये लोटाकर कब्जा छोड़ने को कहा तब प्रतिवादी ने कहा कि हां मैं कब्जा छोड़ दूंगा और स्टाम्प पर जो लिखापढ़ी हुई है उसे भी वापस कर दूंगा। लेकिन आज दिनांक तक भी प्रतिवादी ने कब्जा नहीं छोड़ा है व ना ही स्टाम्प वापिस किया है। प्रतिवादी ने कब्जा नहीं छोड़ा और लड़ाई–झगड़े पर आमादा हो रहा हैं। प्रतिवादी रूपये वाला व राजनितिक रसूकात वाला बाहुबली व्यक्ति हैं। वादी एक गरीब काश्तकार व सींधा साधा होने का फायदा प्रतिवादी उठा हो रहा हैं जो कि न्यायोचित नही है। यह कि वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी व खाते दर्ज है इसलिए वादी प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है। यह कि वादी अपने खाते की आराजी ग्राम चछलाई पटवार हल्का चछलाव तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज. मे आराजी जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमाबन्दी वर्ष 2076 (वर्ष 2020 से स्थायी) मे खाता संख्या 25 नया व 21 पुराना की खसरा नम्बर 193 रकबा 0.1012 हैक्टेयर प्रतिवादी के विरूद्ध वादी के खाते की आराजी पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करने के अपराध के लिए फौजदारी कार्यवाही भी करेगे। यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम चछलाई तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि राज. सरकार जरिये तहसीलदार को लेण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

होल्डर होने की वजह से पक्षकार बनाया है। यह कि वाद पत्र अन्दर अवधि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि वादी सविनय प्रार्थना करता है कि– (अ) डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान कर वादग्रस्त आराजी ग्राम चछलाई पटवार हल्का चछलाव तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज. मे आराजी जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमाबन्दी वर्ष 2076 (वर्ष 2020 से स्थायी) मे खाता संख्या 25 नया व 21 पुराना की खसरा नम्बर 193 रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा हटाया जावे तथा वादी को उसके खाते की आराजी पर कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वादी के खाते की आराजी पर कब्जा नही करे व मदाखलत व मजाहमत नही करे (ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे। (स) अन्य राहत जो न्यायोचित हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 19.12.2024 के अनुसार उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 2 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम चछलाई तहसील सुनेल के खाता सं. 25 की जमाबंदी सं. 2072–75 दिनांक 24.03.2020 प्रदर्श 1 एवं जमाबंदी सं. 2072–75 दिनांक 07.08.2025 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में चेनराम पि. कनीराम, बालाराम पि. कन्हैयालाल, पूरीलाल पि. कंवरलाल व रामकिशन पि. प्रभूलाल PW-1 to 4 के शपथपत्र/ बयान कराये जबकि पेरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2076 दिनांक 12.08.2025 व नामा.सं. 547 की छायाप्रति पेश की गई।

4. अभिभाषक वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु[illegible]हराते हुए कथन किया कि ग्राम चछलाई तहसील सुने[illegible] के खाता संख्[illegible] जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खसरा नम्बर 193 [illegible] भूमि में वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

उसकी माता पानबाई का नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी का माता पानबाई की मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो जाने से वादी वादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार कृषक है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने अवैध रूप से बिना किसी हक व अधिकारी के अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। वादग्रस्त आराजी को वादी द्वारा कुछ वर्षो पूर्व प्रतिवादी के यह आराजी 12000/– में गिरवी पेटे रखी थी और समय पूरा होने के पश्चात वादी ने प्रतिवादी के ब्याज सहित रूपये लौटाकर कब्जा छोडने को कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने लडाई झगडा करने पर उतारू हो गया एवं कब्जा छोडने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के जबरदस्ती बलपूर्वक वादी की भूमि पर कब्जा किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादी अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को वापिस कब्जा दिलाया जावे और प्रतिवादी सं. 2 को वादग्रस्त आराजी का वादी को कब्जा सौपने के लिए निर्देशित किया जावे।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम चछलाई तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 193 रकबा 0.1012 है. जल संसाधन विभाग झालावाड द्वारा वर्ष 2008 से पूर्व अधिग्रहित कर कर अवार्ड जारी कर दिया गया था तथा भूमि का कब्जा ले लिया गया था। वादग्रस्त आराजी पर कनवाडा बांध की दांयी मुख्य नहर बनकर वर्षो से सिंचाई हेतु उपयोग में ली जा रही है। वादी द्वारा वर्ष 2023 में वाद दायर करते समय भूमि का वास्तविक स्वामित्व व कब्जा जल संसाधान विभाग झालावाड के पास था केवल किन्ही कारणवश जल संसाधान विभाग के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया था। वर्तमान में [illegible] से जल संसाधन विभाग के खाते दर्ज हो चुकी है [illegible] के खातेदार कृषक नहीं होने से धारा 183 आर.टी. [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

जमीन मेरी है तुम यहां से चले जाओ नहीं तो तुम्हे जान से मार दूंगा तथा

(6)

6. अभिभाषक वादी एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम चछलाई तहसील सुनेल मे खाता संख्या 25 प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.03.2020 को वादग्रस्त आराजी वादी चेनराम 1/2 हिस्से का एवं वादी की माता पानबाई 1/2 हिस्से से दर्ज रिकार्ड थी लेकिन पेरोकार सरकार द्वारा पेश हाल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 193 रकबा 0.1012 है. सिंचाई परियोजना हेतु अधिग्रहित होकर जरिये नामा.सं. 547 दिनांक 18.11.2024 जल संसाधन विभाग झालावाड के खाते दर्ज हो चुकी है। अतः साबित है कि वादी वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक नहीं है। नामा.सं. 547 की पंजिका के साथ संलग्न कनवाडा मुख्य नहर के अवार्ड की प्रतिलिपी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के **भूमि ग्रहण का अवार्ड जुलाई 2007 में हो चुका था और वर्ष 2008 में भूमि अधिग्रहण होकर कनवाडा सिंचाई परियोजना का कार्य शुरू हो चुका था** जो पेरोकार सरकार की बहस अनुसार 2015–16 में पूर्ण होकर नहर चालू हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश जल संसाधन विभाग के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण दर्ज नहीं होने से जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज चला आ रहा था जबकि वादग्रस्त आराजी का वास्तविक स्वामित्व व कब्जा जल संसाधान विभाग झालावाड के पक्ष में था। यदि किसी खातेदार कृषक की आराजी पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के कब्जा किया जाता है या किया जा चुका है तो ऐसे खातेदार को उस अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 183 आर.टी.एक्ट का वाद लाने का अधिकार है। **हस्तगत प्रकरण में वादी वादग्रस्त आराजी का ना तो खातेदार कृषक है और ना ही कब्जाधारी है। अतः वादी को धारा 183 आर.टी. एक्ट का वाद लाने का कोई हक व अधिकार नहीं है।** यहां सुविधा के लिए धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

<u>**183. Ejectment of certain trespasser**</u>— (1) Not withstanding anything to the contrary in any provisi[on of th]is Act, a trespasser who has taken or retained possessio[n of] any land

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

जमीन मेरी है तुम यहां से चले जाओ नहीं तो तुम्हे जान से मार दूंगा तथा आराजी से कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया यही कारण वादी को दावा ... तथा इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।

Scanned with OKEN Scanner

(7)

without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

7. हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी जरिये नामा.सं. 547 के साथ संलग्न कनवाडा मुख्य नहर के अवार्ड की प्रतिलिपी के अवलोकन एवं पेरोकार सरकार की बहस के आधार पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी के **भूमि ग्रहण का अवार्ड जुलाई 2007 में हो चुका था और वर्ष 2008 में भूमि अधिग्रहण होकर कनवाडा सिंचाई परियोजना का कार्य शुरू हो चुका था** जो पेरोकार सरकार की बहस अनुसार 2015–16 में पूर्ण होकर नहर चालू हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश जल संसाधन विभाग के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण दर्ज नहीं होने से जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज चला आ रहा था जबकि वादग्रस्त आराजी का वास्तविक स्वामित्व व कब्जा जल संसाधान विभाग झालावाड के पक्ष में था। वादी द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए गलत मंशा के साथ वाद न्यायालय में दिनांक 11.01.2023 को पेश किया गया है। वादपत्र में कही भी वादी द्वारा भूमि के अधिग्रहित हो जाने एवं जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज हो जाने एवं मौके पर नहर का निर्माण हो जाने का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि वादी को उक्त सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। वादी द्वारा पेश स्वयं के शपथपत्र PW-1 दिनांक 06.02.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने तथ्यों को छुपाते हुए भूमि के जल संसाधन विभाग के खाते व कब्जे में दर्ज होने के बावजूद भी **झूंठा शपथपत्र न्यायालय में पेश** किया है। इसी प्रकार वादी ने अपने परीक्षण के दौरान झूंठी शपथ लेकर गलत तरीके से जमाबंदी को प्रदर्श किया गया। न्यायालय द्वारा वादी से साक्ष्य के दौरान वादग्रस्त आराजी की नवीनतम जमाबंदी मांगी गई तो वादी द्वारा तथ्यो को छुपाते हुए एवं न्यायालय को गुमराह करने के लिए दिनांक 07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

08.2025 को जारी हुई पुरानी जमाबंदी की नकल पेश की गई थी जिसमें भूमि का रकबा 0–08 बीघा अंकित है जबकि तहसील क्षेत्र सुनेल में कम से कम वर्ष 2019 में तहसील के आनलाईन होने के बाद से जमाबंदियो में रकबा हैक्टर में दर्ज है। अतः वादी द्वारा पेश दिनांक 07.08.2025 की उक्त जमाबंदी प्रथम दृष्टया संदेहप्रद एवं बुरी मंशा के साथ पेश किया जाना प्रतीत होती है। वादी की ओर से पेश गवाह PW-2 बालाराम पि. कन्हैयालाल द्वारा भी झूंठा शपथपत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है एवं न्यायालय के समय एवं संसाधन को खराब किया है। अतः साबित है कि वादी न्यायालय में गलत मंशा एवं उद्देश्य से आया है। वादी द्वारा झूंठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर वाद दायर कर कोर्ट प्रकिया का दुरूप्योग करने एवं न्यायालय का समय खराब करने वालो को हतोत्साहित करने और भविष्य में इस तरह की घटनाए न दोहराने के लिए वादी के वाद को खारीज करने के साथ साथ जुर्माना लगाना भी न्यायोचित है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M/S Tomorrow land ltd. Vs HUDCO 2025 मामले में प्रतिपादित किया है कि " Courts can not aid those approaching with unclean hands. The court observed that the intent of the appellant throughout appeared to be that of prolonging the litigation to cloak its impe- cuniousness".

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Amar singh vs Union of India 2011 मामले में प्रतिपादित किया है कि " A party must come to court with clean hands to be eligible for equitable relief ".

10. Simax construction Pvt. Ltd. Vs State bank of India 1991 मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने तथा R.Ramesh vs Packiam 2023 मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि "Suppression of material facts or dishonest conduct disqualifies a party from receiving relief इसी प्रकार Kolluru Sudhakarrao vs Polineni Naga Bhushanam 2022 मामले में माननीय आंध्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

जमान मेरा है तुम यहा से चले जाओ नही तो तुम्हे जान से मार दूंगा तथा आराजी से कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया यही कारण वादी को दावा करना आवश्यक हुआ इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि " Injunctions are discretionary and will not be granted to a party that has suppressed facts or acted dishonestly ".

11. The Princple of unclaen hands is a fundamental doctrine in equity that prevents a party from seeking relief if they have acted unethically or in bad faith in relation to the subject matter of their claims. In the Indian judiciary system, this principle is consistently upheld perticulary in cases seeking equitable relief such as injunction or specific performance.

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम चछलाई तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 25 ख.नं. 193 रकबा 0.1012 है. के संबंध में वादी का वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट कॉस्ट पर खारीज किये जाने योग्य है।

--::क्रियात्मक आदेश::--

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम चछलाई तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 25 ख.नं. 193 रकबा 0.1012 है. के संबंध में वादी का वाद मय कॉस्ट रूपये 1000/- खारीज किया जाता है। वादी कॉस्ट की राशि राजकोष मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करना सुनिश्चित करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/25

(... आरएएस)

उपखण्ड अधिकारी ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(1)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05 / 2023 दायर दिनांकः 11.01.2023

उनवान

1. चैनराम आत्मज कन्हीराम जाति धाकड़ नि. चछलाई तहसील सुनेल

———वादी

बनाम

1. भगवानसिंह आत्मज रामसिंह जाति धाकड़ नि. चछलाई तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

————प्रतिवादीगण

<u>दावा धारा 183 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

अभिभाषक वादी :– श्री सुरेश नागर

प्रतिवादी सं. 1 :– एकतरफा

प्रतिवादी सं. 2 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

ग्राम चछलाई तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 25 ख.नं. 193 रकबा 0.1012 है. के संबंध में वादी का वाद मय कॉस्ट रूप्ये 1000/– खारीज किया जाता है। वादी कॉस्ट की राशि राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करना सुनिश्चित करें।

21/8/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena

Date: 2025.11.04 11:35:02 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निज ....X.......... मुतालिक ....X.......... बाबत खर्चा इस मुकदमे के मुद्द अलावा ....X.......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......... अदा करेगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.08.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुद्दई		मुद्दालेह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा नकालान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नामा	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनामा
स्टाम्प दावा मजूर	बाबत इजराय हुकमनामा	महन्ताना वकील	मुतफर्रिक
महन्ताना वकील	मुतफर्रिक	खर्चा नकालान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पीठासीन अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

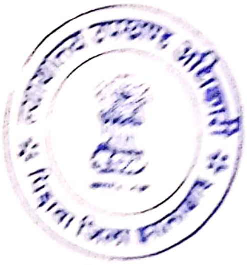

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner